2. अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्यः–

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग में निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य करते है। विभाग 2 क्षेत्रों (पूर्वी/पश्चिमी) में विभाजित है जो मुख्य अभियन्ता (पूर्वी/क्षेत्र) व मुख्य अभियन्ता (पश्चिमी क्षेत्र) के अधीन है। प्रत्येक क्षेत्र में 6–6 परिमण्डल है जो अधीक्षण अभियन्ताओं के अधीन है। प्रदेश में कुल 58 सामान्य व 30 जनपदों में 51 प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना हेतु (पी0आई0यू0) प्रखण्ड है जिनके कार्य अधिशासी अभियन्ता के नियंत्रण में होते है। अधिशासी अभियन्ताओं के सहयोग हेतु तहसील स्तर पर सहायक अभियन्ता व उनके अधीन ब्लाक स्तर पर अवर अभियन्ता कार्यरत है जिनके नियंत्रण व देख–रेख में कार्य कराया जाता है। इनके अतिरिक्त वित्तीय मामलों को देखने हेतु तथा विभागाध्यक्ष को सलाह प्रदान करने हेतु वित्त नियंत्रक तथा वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यरत है। प्रखण्ड स्तर पर महालेखाकार कार्यालय द्वारा नियुक्त प्रखण्डीय लेखाकार/लेखाद्दिकारी कार्यरत होते है जो समस्त वित्तीय एवं लेखा संबंधी प्रकरणों में प्रखण्डीय अधिकारी (अधिशासी अभियन्ता) की सहायता करते है। विभाग में निर्माण कार्य ठेकेदारों के माध्यम से व रोजगार परक कार्य सीधे मजदूरों से मास्टर रोल पर कराये जाते है जो अवर अभियन्ता के प्रत्यक्ष देख–रेख व सहायक अभियन्ता के नियंत्रण में होते है। ठेकेदारों का पंजीकरण व अन्य कार्य संबंधी संविदा लोक निर्माण विभाग में प्रचलित विशिष्टियों के अनुरूप कराया जाता है। ठेकेदारों से संविदा जी0पी0डब्लू0–9 की शर्तो के अनुरूप कराया जाता है व कार्य के मापन व निरीक्षण के पश्चात उसकी गुणवत्ता से पूर्णतया संतुष्ट होने के पश्चात् ही कम्पलीशन रिपोर्ट देकर अन्तिम भुगतान किया जाता है।